



2025:RJ-JP:45587

[2025:RJ-JP:45587]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13884/2025

Dharampal @ D.p S/o Shri Leelaram, Aged About 20 Years, R/o Rampura, Police Station Pragpura, District Kotputli-Behror (Raj.)
(At Present District Jail Kotputli, District Kotputli-Behror).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lokesh Kumar Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Ms. Vijay Laxmi Gautam, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

13/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना प्रागपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 325/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 435, 307, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, सअभियुक्तगण की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।



विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर घटना के दौरान मोटरसाइकिल स्टार्ट रखने तथा घटना कारित करने के पश्चात सहअभियुक्तगण को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घटनास्थल से ले जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से स्वीकार किये जा चुके हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मपाल उर्फ डी.पी. पुत्र लीलाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J